

मपडुनिया
प्रश्न क्र. ६६, ६३३
Page-15

[11/8/2024]
परिशिष्ट-अ

राज्य शिक्षा केन्द्र
पुस्तक भवन, सी-विंग, आर.डि.सि. भोपाल - 462 011
दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फ़ैक्स : 2552363, 2760361
क्रमांक/परिचि/स्था./2015/7780

विज्ञापन

राज्य शिक्षा केन्द्र अंतर्गत मध्यप्रदेश स्वदेशी अभियान विगत कार्यलय में निम्न पदों की पूर्ति हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा शिक्षा विभाग के उपसंचालक, सहायक संचालक, प्राचार्य, आ.वि. एवं प्राथमिक/हाईस्कूल स्तर के अधिकारियों की सेवाएं प्रतिनिधित्व पर लिये जहाँ हेतु योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन पर आमंत्रित किये जाते हैं। प्रतिनिधित्व पर आने के इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन एवं अन्य शिक्षा केन्द्र प्रसक्त मध्य सी-विंग आर.डि.सि. भोपाल - 462011 में दिनांक 19-11-2015 तक अथवा ई-मेल से hrks88111@gmail.com पर भेज सकते हैं। निर्धारित समयसीमा के पश्चात् प्राप्ति आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रिक्त पदों के लिये निर्धारित अर्हताएं एवं अन्य विवरण निम्नानुसार है-

क्र.	पद	रिक्त पदों की संख्या	भेदनमान	अर्हताएं
1	उप प्रबंधक	02	3600-39000 ग्रेड पे 6600	उपसंचालक/सर्वना के अधिकारी (उपसंचालक/सर्वना के योग्य अधिकारी उपलब्ध होने की स्थिति में सहायक संचालक/प्राचार्य/हाईस्कूल स्तर के अधिकारी की सेवाएं पर विचार ही जायेगी)
2	सहायक प्रबंधक	03	15600-39000 ग्रेड पे 6400	सहायक संचालक/प्राचार्य/हाईस्कूल स्तर के अधिकारी
3	प्राचार्य कम ट्रेनिंग ऑफिसर	01	15600-39000 ग्रेड पे 5400	सहायक संचालक/प्राचार्य/हाईस्कूल स्तर के अधिकारी जो साइबर आर.कम्प्यूटर एप्लीकेशन (एमसीए) या बी.ई. (कम्प्यूटर साइंस) या पी.टी.के. (कम्प्यूटर साइंस) या में 04 वर्षों तक अनुभव अथवा निम्नलिखित (गणित/भौतिकी) पर शासकीय भाषाता प्राप्त संख्या से कम्प्यूटर एप्लीकेशन एवं एप्लीकेशन 04 वर्षों तक अनुभव अथवा परियोजना निर्माण एवं शैक्षणिक प्रयोगों का एक वर्ष अनुभव अथवा निम्नलिखित का अनुभव रखने वाले अधिकारी प्राथमिकता

नोट :- यह प्रतिनिधित्व निम्न शर्तों के अधीन होगी :-

- आवेदन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समुचित समय पर प्रतिनिधित्व के संदर्भ में जारी किया जायेगा लागू होगा।
- आय सीमा - 01.01.2015 को 52 वर्ष से अधिक न हो।
- शैक्षणिक/व्यवसायिक योग्यता की सत्यापना प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करनी आवश्यक है।
- प्राप्ति आवेदन पत्रों को स्कूल/उपस्थान प्रशासकीय अधिकारियों को ही लिखित पत्रिका/साक्षात्कार में समिपित होने हेतु स्थान एवं समय की सूचना पत्रक से भेजी जायेगी।
- अभ्यर्थी स्वतंत्रता होम चाक्री तथा अभ्यर्थी में प्रत्येक प्रश्न और उत्तरों की शारीरिक समता प्राप्त चाहिए।
- किन्हीं भी अभ्यर्थी को साक्षात्कार में आने हेतु आम - क्युआ प्रश्नान देय नहीं होगा।
- आवेदन पत्र में जमाबंदी अर्हते होने की दशा में आवेदन पत्र प्रतिनिधित्व अदेश निरस्त किया जायेगा।
- शिक्षा विभाग के सेक्टोर्टल पर स्वयं की जानकारी है सर्वसुलभ रूप से उपलब्ध करे।
- निस पर हेतु अतिरिक्त प्रश्न किया जा रहा है, जमाबंदी संलग्न प्रश्न पत्रिका में अतिरिक्त प्रश्न अनुसार जमा कराना आवश्यक होगा।
- आवेदन पत्र आयुक्त, राज्य-शिक्षा केन्द्र, सी-विंग पुस्तक भवन, आर.डि.सि. भोपाल-462011 में कार्यलय में निर्धारित विधि तक प्राप्त हो जाना चाहिए। विरक्त के अतिरिक्त पत्रों में 'पद का आवेदन आवेदन पत्र लिखा होना चाहिए। निर्धारित विधि का अभ्यर्थी अपनी आवेदन पत्र स्कूल/विभाग में प्राप्त करे। hrks88111@gmail.com पर भेजा सकते हैं। किन्तु शून्य से आवेदन भेजने वाले आवेदनकर्ताओं को बाद में इच्छा की में ही आवेदन किया करनी आवश्यक होगा।
- अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ प्रश्न पत्र देना होगा कि उनके विरक्त किन्हीं भी प्रकार की विभागीय जांच/अपराधिक प्रकरण/न्यायव्यवस्था प्रकरण प्रेषित नहीं है। अपराधिक द्वारा दो गई जानकारी अंतर्गत पाई जाने पर चयन निरस्त किया जाएगा।
- ऐसे अधिकारी किन्हीं पदों में स्वदेशी अभियान विगत अंतर्गत प्रतिनिधित्व पर रहते हुए दण्डित किये गये हैं/ किन्हीं विरक्त किन्हीं प्रकार का अपराधिक/न्यायव्यवस्था प्रकरण/विभागीय जांच उपलब्ध है वे इस पद हेतु अपात्र माने जायेंगे।
- विरक्त अधिकारी वेबसाइट www.educationportal.mp.gov.in पर उपलब्ध है।

आयुक्त
राज्य शिक्षा केन्द्र

जी-20757/15

एक दशक विश्वास का - प्रदेश के विकास का

MD0311/15

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग